पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर

क्रमांक/745/अका./का.प./2008 दिनांक 04.03.2008

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की दिनांक 03.03.2008 को अपराह्न 3.00 बजे कुलपति कक्ष में आयोजित आपात बैठक की कार्यवृत्तः–

उपस्थित सदस्य–

1.	डॉ. लक्ष्मण चतुर्वेदी, कुलपति	–	अध्यक्ष
2.	डॉ.ए.आर.चन्द्राकर, कुलाधिसचिव	–	सदस्य
3.	प्रो.रामखिलावन गुप्ता	–	सदस्य
4.	प्रो.उषा दुबे	–	सदस्य
5.	प्रो.एस.जे.केकरे	–	सदस्य
6	प्रो.शलभ तिवारी	–	सदस्य
7.	प्रो.जयलक्ष्मी ठाकुर	–	सदस्य
8.	प्रो.एस.के.मिश्रा	–	सदस्य
9.	प्रो.गौरीशंकर	–	सदस्य
10.	प्रो.आर.पी.दास	–	सदस्य
11.	डॉ.एस.के.मुखर्जी	–	सदस्य
12.	डॉ.जी.बी.गुप्ता	–	सदस्य
13.	डॉ.इंदु अनंत, कुलसचिव	–	सचिव

कुलपति द्वारा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा बी.एड. के छात्रों के संबंध में न्यायालयीन आदेश एवं श्री कनक तिवारी, वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा विश्वविद्यालय के अधिवक्ता के रूप में कार्य न करने संबंधी लिखे गये पत्र का विवरण प्रस्तुत किया गया। तदनुसार सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिये गयेः–

1. बी.एड.के प्रवेश एवं परीक्षा के प्रकरण के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय का याचिका के साथ अंतरिम आदेश 20 फरवरी, 2008 को प्राप्त हुआ था। यह निर्णय कुलपति के समक्ष समय पर प्रस्तुत नहीं किया गया। विश्वविद्यालय इस प्रकरण की सुनवाई में अपना पक्ष नहीं रख सका परिणामस्वरूप एकतरफा निर्णय हुआ है। विश्वविद्यालय के अधिवक्ता ने विश्वविद्यालय के प्रकरण को देखने से मना कर दिया है। अतः इस स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय की अवमानना न हो इस बात को ध्यान में रखते हुए अधिवक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर या अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त न होने की स्थिति में न्यायालय को सूचित करते हुए अन्य अधिवक्ता नियुक्त करते हुए प्रकरण पर आगे की कानूनी कार्रवाई का निर्णय लिया गया।
   वर्तमान विशेष परिस्थिति को देखते हुए कुलपति को अधिकृत किया गया है कि वे स्टैंडिंग काउंसिल एवं रिटेनर नियुक्त करें ताकि प्रकरण पर उच्च न्यायालय में आगे की कार्रवाई की जा सके ।

2. श्री कनक तिवारी, वरिष्ठ अधिवक्ता ने पत्र लिखकर विश्वविद्यालय के अधिवक्ता का कार्य न करने और विश्वविद्यालय के प्रकरण संबंधी नस्ती अंतिम भुगतान करके ले जाने की बात कही है। इस प्रकरण पर विचार कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि विशेष परिस्थिति मानकर उनके द्वारा प्रस्तुत देयक का भुगतान करने के साथ ही विश्वविद्यालय के उच्च न्यायालय में लंबित प्रकरणों के समस्त अभिलेख/नस्तियॉ तथा अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जाय। कार्यपरिषद के सदस्यों द्वारा अधिवक्ताओं के नाम सुझाए गए हैं जिनसे चर्चा कर कुलपति कार्यपरिषद की आगामी बैठक में प्रस्तुत करेंगे।

3. श्री कनक तिवारी, वरिष्ठ अधिवक्ता को पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में एल–एल.एम. कक्षाओं के अध्यापन एवं मार्गदर्शन हेतु विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदन के पश्चात 14.2.2008 को आमंत्रित किया गया था। श्री कनक तिवारी ने विधि अध्ययनशाला के प्रोफेसर के बारे में अनावश्यक आरोप लगाए हैं। इसको देखते हुए कार्यपरिषद ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि श्री कनक तिवारी के विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में आमंत्रण को निरस्त किया जाय एवं नियमानुसार मानदेय का भुगतान कर दिया जाय।

कुलपति

कुलसचिव

पृष्ठांकन क्र./746/अका./का.प./2008

दिनांक 04/03/2008

प्रतिलिपि:

1. महामहिम कुलाधिपति के सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर,
२. कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को इस निवेदन के साथ कि यदि कार्यवृत्त में कोई त्रुटि हो तो इसकी जानकारी कार्यवृत्त जारी होने की तिथि से 15 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करने का कष्ट करें।
3. जनसंपर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
४. वित्ताधिकारी/ आवासीय अंकेक्षण,
५. समस्त विभागीय अधिकारी, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर,
६. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ अग्रेषित ।

सहायक कुलसचिव (अकादमिक)